Article Date	Headline / Summary	Publication
16 Oct 2026	Comparison of IDV, claim facility and add-on cover essential in motor insurance: Kaul	Dainik Bhaskar (Hindi)

मोटर इंश्योरेंस में आईडीवी, क्लेम सुविधा और एडऑन कवर की तुलना जरूरी : कौल

जयपुर | कार या दोपहिया का बीमा कराते समय प्रीमियम के साथ सही पॉलिसी पर ध्यान भी



जरूरी है, ताकि दुर्घटना, चोरी और प्राकृतिक आपदा से होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करने में मदद मिल सके। बजाज जनरल इंश्योरेंस के रिटेल बिजनेस के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर राकेश कौल के मुताबिक, बीमा खरीदने से पहले कवरेज, क्लेम प्रक्रिया और अतिरिक्त सुरक्षा विकल्पों की तुलना जरूरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कानूनी रूप से अनिवार्य है। यह दूसरे व्यक्ति को चोट, मृत्यु या संपत्ति के नुकसान से जुड़ी देनदारी कवर करता है, लेकिन वाहन का नुकसान नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी थर्ड पार्टी देनदारी के साथ दुर्घटना, आग, चोरी और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार प्राकृतिक आपदा से वाहन को हुए नुकसान की भरपाई करती है। उन्होंने कहा कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (आईडीवी) चोरी या वाहन के कुल नुकसान की स्थिति में मिलने वाली क्षतिपूर्ति से जुड़ी होती है। इसलिए इसका सही निर्धारण जरूरी है। पॉलिसी चुनते समय कैशलेस गैराज नेटवर्क, डिजिटल क्लेम सुविधा, ग्राहक सहायता, डिडक्टिबल और पॉलिसी में शामिल अपवादों की भी तुलना करनी चाहिए। जीरो डेप्रिसिएशन, इंजन प्रोटेक्शन, रोडसाइड असिस्टेंस और रिटर्न टू इनवॉइस जैसे एडऑन जरूरत के अनुसार उपयोगी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के कवर की शर्तें भी जांचें। इन लाभों की उपलब्धता पॉलिसी के नियमों पर निर्भर करती है। साथ ही वाहन के इस्तेमाल, पार्किंग की जगह और व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से बीमा चुनना चाहिए।